अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट), अलीगढ़

पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार यादव–प्रथम, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code No.-UP06339)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2678/2026
CNR No.-UPAL010057732026

1. प्रेमवीर पुत्र दशरथ,
2. विशम्बर सिंह उर्फ बुल्टी पुत्र दशरथ,
.....निवासीगण–स्यारौल, थाना–टप्पल, जिला–अलीगढ़ .....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या–167/2026
धारा–191(2), 191(3), 190, 333, 352, 131, 109(1), 351(2) बी.एन.एस.
थाना–टप्पल, अलीगढ़

आवेदकगण/अभियुक्तगण **प्रेमवीर व विशम्बर सिंह उर्फ बुल्टी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2678/2026 बावत मुकदमा अपराध संख्या–167/2026 अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 333, 352, 131, 109(1), 351(2) बी.एन.एस., थाना–टप्पल, जिला अलीगढ़ के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें उक्त वाद में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं तथा पूर्व सजायाफ़्ता नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना दिनांक 14.04.2026 समय 03 बजे दोपहर के सम्बन्ध में रात्रि के 12 बजे, करीब 09 घण्टे देरी से रिपोर्ट लिखायी गयी है, जिसका कोई कारण नहीं है। वादी व उसके पिता के विरूद्ध मु0अ0 संख्या–174/2026 धारा– 191(2), 191(3), 115(2), 352, 131, 125, 109(1), 329(3), 351(3) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत है, जिसमें संतोष देवी चुटैल है। वादी व उसके पिता शिवराज, लाला, चेतन उर्फ टीटू, लोकेश उर्फ कालू और वादी की मां अमरावती ने एक बीघा खेत पर जबरन कब्जा कर रखा है और उक्त कब्जे को हटवाने की वजह से वादी व उसके साथी ने हमला किया है और उक्त केस से बचने के लिए यह झूंठा मुकदमा लिखाया है। उनका कोई स्पेशिफिक रोल नहीं है, अभियुक्त दशरथ की नियमित जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण घटना के समय घटनास्थल पर नहीं थे। यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अथवा अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न, ही खारिज हुआ और न, ही विचाराधीन है। जिसके आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र के साथ अभियुक्तगण द्वारा स्वयं का शपथ पत्र संलग्न किया गया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी का कथन है कि उसके पिता शिवराज ने गांव स्यारौल के ही दशरथ से आधा बीघा खेत खरीदा था, जिसमें बुई हुई गेंहू की फसल पकने पर कटवायी और दिनांक 14.04.2026 को दोपहर 03:00 बजे करीब खेत में ही थ्रेशर से गेंहू की फसल निकलवाकर दोपहर में अपने घर में छाया में बैठे थे, तभी दशरथ, हरेन्द्र उर्फ बोना, विष्णु, प्रदीप, प्रेमवीर, बुलटी, संतोष लाठी–डंडा, सरिया, गडासा, फरसा, लोहे की पाईप, हथियार कट्टा आदि लेकर उसके घर में घुस आये और आते ही सभी लोगों ने मां–बहन की गालियां देते हुए पिताजी शिवराज सिंह, ताऊ लाल भाई लोकेश, मां अमरावती पर जानलेवा हमला कर दिया, वह उनसे छूटकर भागा तो बुल्टी ने उसके पीछे ट्रैक्टर दौड़ाया, वह उनके हाथ नहीं आया, तो उन्होंने उसे व उसके तहेरे भाई लोकेश को जान से मारने की धमकी दी। उसके पिता शिवराज सिंह का सिर बुरी तरह घायल है और एक पैर टूट गया है, ताऊ लाला का सिर फट

गया है, और बांया हाथ टूट गया है। वादी के हाथ, पैर, कमर में गुम चोटें व उसकी मां अमरावती का घुटना टूट गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें मामले में झूंठा फंसाया गया है तथा अभियुक्तगण को निर्दोष होने का कथन करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना किया गया।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्त तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की सक्रिय संलिप्तता होने के आधार पर मामले की गंभीरता के अनुक्रम से अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का कथन किया गया।

अभियुक्तगण/आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली व थाने की आख्या का परिशीलन किया। पर्याप्त अवसर के बावजूद भी अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन व केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घातक हथियार यथा सरिया, गडासा, कट्टा आदि को लेकर मां–बहन की गालियां देने तथा वादी मुकदमा व उसके पक्ष के लोगों को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर देने, जिससे वादी मुकदमा के पिता के सिर पर चोटें आने व एक पैर टूट जाने तथा चुटहिल लाला का सिर फट जाने व उसका हाथ टूट जाने, इसी प्रकार चुटहिल अमरावती का घुटना टूट जाने का आरोप है।

केस डायरी के साथ मामले के चुटहिलों के फोटोग्राफ्स में चुटहिलों के सिर पर फटी हुई चोट व खून प्रदर्शित हो रहा है। मामले के चुटहिल लाला की इंजरी रिपोर्ट दिनांकित 14.04.2026 में कुल 04 चोटें कन्टूजन व एवरेडेड के रूप में पैराइटल रीजन पर मिड फोर आर्म पर तथा बांये पैर पर प्रदर्शित हैं। इसी प्रकार मामले के चुटहिल लोकेश की इंजरी रिपोर्ट में एवरेडेड कन्टूजन के उल्लेख के साथ कुल 06 चोटें आसिपिटल रीजन ऑफ हेड पर, बांये रिस्ट पर, चेहरे पर घुटने पर प्रदर्शित हैं तथा चुटहिल अमरावती को कुल 02 चोटें कंधे व अन्य जगह पर तथा चुटहिल विनोद को एक चोट गर्दन, घुटना व कंधे पर तथा चुटहिल शिवराज को कुल 05 चोटें राईट साइड ऑफ फोरहेड, स्केपुलर रीजन पर तथा कंधा व घुटने पर इंजरी रिपोर्ट में उल्लिखित की गयी हैं। उपरोक्त चोटों के बावत चुटहिल लाला की चोट नं0–1, 2 व 4 को तथा चुटहिल लोकेश की चोट नं0–1 व 2 को तथा चुटहिल शिवराज की चोट नं0–1, 2 व 4 को कीप अण्डर ऑवजर्वेशन रखे जाने, जबकि चुटहिल अमरावती व विनोद को पहुंची चोटें साधारण प्रकृति की होने व चोटों की अवधि को फ्रेश होने तथा घटना में प्रयुक्त हथियार को ब्लंट ऑब्जेक्ट होने के रूप में रिपोर्ट तैयार किया गया है।

मामले के चुटहिल शिवराज की अनुपूरक इंजरी रिपोर्ट में उसके बांये कंधे व दांये घुटने में फ्रेक्चर प्रकट पाये जाने, इसी प्रकार लाला की इंजरी रिपोर्ट में भी लेफ्ट एफ.ए. में फ्रेक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्टावाण्ड का तथ्य प्रकट होता है। यद्यपि लोकेश व लाला की अनुपूरक रिपोर्ट में फ्रेक्चर का कोई तथ्य प्रकट नहीं पाया गया है। किन्तु केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले में विवेचना अभी जारी है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले के क्रॉस मुकदमा के रूप में इस मामले के चुटहिलों अर्थात् शिवराज, विनोद, लोकेश व अमरावती के विरूद्ध घटना दिनांकित 14.04.2026 समय 11:00 बजे की घटना के बावत क्रॉस मुकदमा अभियुक्तगण की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसके संदर्भ में अभियुक्तगण की ओर से यह कथन किया गया कि इस मामले के चुटहिलों द्वारा उनके पक्ष के संतोष देवी, प्रेमवीर सिंह व हरवेन्द्र सिंह को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचायी गयी हैं, जिसके बावत प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उभयपक्ष द्वारा एक–दूसरे के प्रति क्रॉस मुकदमे के रूप में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जिसमें दोनों पक्षों को चोटें पहुंचने का तथ्य प्रकट होता है। उपरोक्त दोनों मामले में विवेचना प्रचलित है। यद्यपि इस स्तर पर इस तथ्य का अवधारण

नहीं किया जा सकता है कि मामले में कौन–सा पक्ष आक्रामक रहा है और कौन–सा पक्ष प्रतिरक्षात्मक रहा है। क्योंकि दोनों मामलों की विवेचना प्रचलित है। प्रकरण के सह–अभियुक्त दशरथ की नियमित जमानत न्यायालय से दिनांक 14.05.2026 को तथा अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ बौना व विष्णु की नियमित जमानत दिनांक 22.05.2026 को हो चुकी है। किन्तु उक्त नियमित जमानत का कोई अनुकूल लाभ अग्रिम जमानत के स्तर पर अभियुक्तगण को नहीं प्रदान किया जा सकता है। क्योंकि विवेचना के स्तर पर विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के अवलोकन से आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की सक्रिय संलिप्तता का तथ्य, प्रमाणित होता है। इसी प्रकार मामले की विवेचना जारी है। मामला गंभीर प्रकृति का है। मामले में अभियुक्तगण की सक्रिय संलिप्तता के अनुक्रम से उन्हें तहरीर में वादी द्वारा नामित किया गया था। जिसकी पुष्टि विवेचना के स्तर पर संकलित साक्ष्य से होती है।

ऐसी दशा में मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदकगण/vfHkयुक्तगण **प्रेमवीर व विशम्बर सिंह उर्फ बुल्टी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2678/2026 बावत मुकदमा अपराध संख्या–167/2026 अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 333, 352, 131, 109(1), 351(2) बी.एन.एस., थाना–टप्पल, जिला अलीगढ़ निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 10.07.2026

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
जे.ओ. कोड नं.–यू.पी.6339
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), अलीगढ़

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.07.10 17:30:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court